इक्फाई विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या..........वर्ष, 2021)

इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए-

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इक्फाई विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

दीर्घ नाम में संशोधन

2. इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (जिसे इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) में "इक्फाई"(इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाईनेन्शियल एनेलिस्ट्स ऑफ इण्डिया), हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश" शब्दों के स्थान पर, "द इक्फाई सोसाइटी, हैदराबाद, तेलंगाना" शब्द रख दिये जायेंगे।

धारा 2 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ज), (झ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) एवं (त) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-

   (ज) "इक्फाई" का तात्पर्य इक्फाई विश्वविद्यालय, देहरादून की प्रायोजक संस्था "द इक्फाई सोसाइटी" है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में पंजीकृत सोसाइटी है;

   (झ) "विहित" से तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

   (ट) "प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संघटक महाविद्यालय के संबंध में संघटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अंतर्गत जहाँ प्राचार्य न हो, वह उप-प्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति से है;

   (ठ) "क्षेत्रीय केंद्र" का तात्पर्य राज्य में ऐसे केंद्र से है जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में स्थित अध्ययन केंद्रो के समन्वय, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रदत्त कार्यों के निष्पादन के उद्देश्य से की गयी हो;

   (ड) "राज्य" का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य से है;

(ढ़) "परिनियमों और नियमावली" से क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों व नियमावली अभिप्रेत है।

(त) "अध्ययन केंद्र" राज्य के भीतर ऐसे केंद्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी हो।

व्यावृत्ति

4. ऐसे संशोधनों के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

Statement of Objectives and reasons

In order to settle the agreement between the Institute of Chartered Financial Analysts of India sponsoring body of the ICFAI University, Dehradun and CFA Institute of the USA, it is expedient to amend the name of the sponsoring body of said University.

2- Proposed bill fulfills the above objectives.

Dr. Dhan Singh Rawat
Minister

The ICFAI University (Amendment) Bill, 2021
(Uttarakhand Bill No. ...... Year, 2021)

A
Bill

further to amend in the ICFAI University Act, 2003.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the ICFAI University (Amendment) Act, 2021.
   (2) It shall come into force at once.

Amendment in long title

2. In the ICFAI University Act, 2003 (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "The Institute of Chartered Finanical Analysts of India(ICFAI), Hyderabad, Andhra Pradesh" the words, "the ICFAI Society, Hyderabad, Telangana'' shall be substituted.

Amendment of section 2

3. the section 2 of the principal Act, in sub-section (1) of clause (g),(h),(i),(j),(k),(l) and (m) shall be subsituted as follows, namely:-

   (g) "ICFAI" means the ICFAI society, the sponsoring body of the ICFAI University, which is a registered Society at Hyderabad, Telangana;

   (h) "Prescibed" means prescribed by the Statutes;

   (i) "Principal'' in relation to a constituent college, means the Head of the constituent college and includes, where there is no Principal, the Vice-principal or any other person for the time being appointed to act as Principal;

   (j) "Regional Center" means a center within the State established or maintained by the University for the

purpose of coordinating, supervising the work of study centres located in the State and for performing such other functions as may be conferred on such centres by the Board of Management;

(k) "State" means the State of Uttarakhand;

(l) "Statutes" and "Rules" means, respectively, the Statutes and Rules of the University;

(m) "Study Centre" means a center within the State, established, maintained and recognized by the University for the purpose of advising, counselling or for redering such other assistance required by the Students.

Saving

4. Notwithstanding such amendment anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

खण्डवार ज्ञापन

1. विधेयक के खण्ड–1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ के विषय में व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
2. विधयेक के खण्ड–2 में दीर्घ नाम में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
3. विधयेक के खण्ड–3 में धारा 2 की उपधारा 1 के खण्ड (ज), (झ), (ट), (ठ) (ड), (ढ) एवं (त) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

डा0 धन सिंह रावत
मंत्री

विधायी शक्तियों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 को संशोधित किये जाने विषयक है।

2– प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

डा० धन सिंह रावत
मंत्री

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 का संशोधन मात्र है।

2— प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी भी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अन्तर्निर्हित नहीं है।

डा0 धन सिंह रावत
मंत्री